

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

गोविन्द चौधरी,
उप सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-08/7/2026

विषय:- प्रेस विज्ञप्ति को राज्य के सभी प्रमुख दैनिक हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि WP (CIVIL) NO.-932/2022 बिहार राज्य अर्द्धसरकारी अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.10.2023 को पारित न्यायादेश एवं दिनांक-22.06.2026 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दिये गये निदेश की कार्यवाही ज्ञापांक-89 दिनांक-30.06.2026 के आलोक में बिहार पंचायती राज वित्त निगम (लि०) के बिहार के कर्मियों/उनके उत्तराधिकारियों से भुगतान संबंधी वांछित दस्तावेज उपलब्ध करवाने हेतु राज्य के सभी प्रमुख दैनिक हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन का प्रकाशन किया जाना अपेक्षित है।

अतः उक्त से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसे राज्य के सभी प्रमुख दैनिक हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(गोविन्द चौधरी)

उप सचिव

ज्ञापांक:-1प/स1-611/2007 (खंड-2)/10034/पं०रा० पटना, दिनांक-08/7/2026
प्रतिलिपि:- आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)

उप सचिव

प्रेस विज्ञप्ति

Writ Petition (C) No- 932/2022 बिहार राज्य अर्द्धसरकारी अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 09.10.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि० (अकार्यरत) के बिहार से संबंधित कुल-103 कर्मियों को Location Basis पर भुगतान की कार्रवाई की जा रही है।

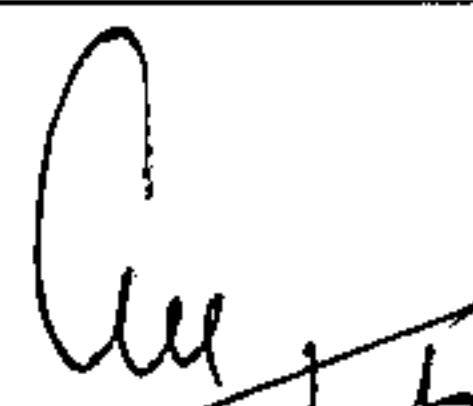
उक्त एवं दिनांक-22.06.2026 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में बैठक में दिये गये निदेश की कार्यवाही ज्ञापांक-89 दिनांक-30.06.2026 के आलोक में बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि० (अकार्यरत) के Traceless कर्मियों/उनके उत्तराधिकारियों को विभाग द्वारा अंतिम रूप से बकाया वेतनादि के भुगतान हेतु प्रेस विज्ञापन प्रकाशित किये जाने का अभिनिश्चय किया गया है।

उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक-475, दिनांक-12.01.2024, 2321 दिनांक-12.03.2024, 4436, 22.05.2024 एवं 4294 दिनांक-21.03.2025 द्वारा कुल-04 बार भुगतान संबंधी कागजात यथा पहचान-पत्र, पास बुक की छायाप्रति, कैंसिल्ड चेक आदि विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेस विज्ञापन प्रकाशित की गयी है, जो सम्प्रति अप्राप्त है।

पुनः निम्नलिखित शेष 13 कर्मियों/उनके उत्तराधिकारियों को स्मारित किया जाता है कि वे यथाशीघ्र विभाग को वांछित दस्तावेज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे :-

क्र०	नाम	पदनाम	क्र०	नाम	पदनाम
1	स्व० निर्मल कुमार सिन्हा	सहायक कार्यपालक पदाधिकारी	8	श्री प्रफुल कुमार अम्बष्टा	सहायक लेखापाल
2	श्री निर्मल कुमार	सहायक कार्यपालक पदाधिकारी	9	सुश्री मीरा रानी	लिपिक
3	श्रीमती जानकी देवी	लिपिक	10	स्व० रामचन्द्र प्रसाद	आदेशपाल
4	श्री बचनेश्वर झा	लिपिक	11	स्व० देवी शोरेन	आदेशपाल
5	श्री भोला प्रसाद यादव	लिपिक	12	स्व० अर्जुन प्रसाद	आदेशपाल
6	श्री पूरण राय	चालक	13	स्व० लक्ष्मण प्रसाद	चालक
7	श्री ओम प्रकाश रजक	आदेशपाल	—	—	—

अतः सूचनार्थ प्रेषित।


(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव